

MEERUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY

दिनांक : 05-11-2024

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन हेतु आवश्यक सूचना

(शैक्षिक सत्र 2024-2025 की ऑनलाईन प्रणाली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन के सम्बन्ध में)

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग (SC/ST, General, OBC & Minority Caste) के छात्र/छात्राओं के लिये)

अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष (First, Second, Third & Fourth year) के सभी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पात्र (Eligible) छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन-पत्र राज्य सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट <http://scholarship.up.gov.in> पर छात्र/छात्राओं द्वारा 01-07-2024 से भरे जा रहे हैं। ऐसे सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवम् अभिभावक की कुल वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार) तक एवं अन्य जातियों (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) के छात्र/छात्राओं के माता पिता एवम् अभिभावक की कुल वार्षिक आय रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) तक है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

सभी पात्र (Eligible) छात्र/छात्रायें अपने आवेदन-पत्र वेबसाइट <http://scholarship.up.gov.in> पर ऑनलाईन भर लें। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने एवम् आवेदन पत्र का Final Print Out लेने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ सूची में दिये गये आवश्यक दस्तावेज क्रमवार संलग्न कर अगले 03 दिनों के अन्दर संस्थान में दो प्रतियों (Two Sets) में जमा करा दें। ऑनलाईन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 15-11-2024 है। दिनांक 15-11-2024 के बाद किसी भी छात्र/छात्रा का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्र (Scholarship/Tuition Fees Form) स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- सभी छात्रों के आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं सामान्य निवास प्रमाण-पत्र bor.up.nic.in एवं edistrict.up.gov.in या प्रमाण-पत्रों में अंकित वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिये। यदि किसी छात्र का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं सामान्य निवास प्रमाण उपरोक्त website पर उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए है। अन्य राज्यों के छात्र/छात्रायें इस योजना में आवेदन न करें।

Kran
5/11/2024
(डा० के.एल.ए. खान)
निदेशक

Copy to:

- Dr. Himanshu Sharma, Principal (MIT PC)
- Dr. Neeraj Kant Sharma, Principal (Dept. of Pharmacy MIT)
- Mr. Gaurav Sharma (Dean 1st Year)
- All HODs
- Warden Boys Hostel
- Warden Girls Hostel
- All Notice Boards